

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 24/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री इरफान अली पुत्र श्री घीसी खान

मैसर्स न्यू दिल्ली जायका होटल, वरुण सागर रोड, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

कन्हैयासिंह – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 23.07.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.2.2025 को जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल न्यू दिल्ली जायका होटल, वरुण सागर रोड, अजमेर पहुंचे। जांच दल में रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी अतुल बडया प्रवर्तन निरीक्षक, आमोद शुक्ला अति० प्रशासनिक अधिकारी, प्रकाश देवनानी वरिष्ठ सहायक सम्मिलित थे। मौके पर 05 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर (मय 25.600 किग्रा एलपीजी) का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) सी की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर का कार्मिक श्री शाहरुख पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी किशनपुरा अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

| | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS |
|---|---------|------|------|------|---------|
| 1 | 040221 | BPCL | 15.8 | 15.8 | 0 |
| 2 | 1205165 | BPCL | 15.5 | 28.8 | 13.3 |
| 3 | 4079951 | BPCL | 15.7 | 16.6 | 0.7 |
| 4 | 257436 | BPCL | 15.3 | 26.4 | 11.1 |



(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

| | | | | | |
|---|----------|------|------|------|-----|
| 5 | 030974पी | BPCL | 15.7 | 16.2 | 0.5 |
|---|----------|------|------|------|-----|

सिलेण्डर को वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर का कार्मिक श्री शाहरुख पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, निवासी किशनपुरा, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर 25.6 किग्रा एलपीजी को राजसात करने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.2.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 25.6 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20.02.2025 को न्यू दिल्ली जायका होटल अजमेर पर घरेलू सिलेण्डर का उपयोग बाबत कार्यवाही की गई। अज्ञानतावंश कानून की जानकारी नहीं होने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर रहा था। आईन्दा ऐसा कृत्य नहीं करूंगा।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 20.2.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 25.6 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर मये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को सरे

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

